



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 588-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2020

दिनांक: 20 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1755/2020सीएक्स-3, दिनांक 14.07.2020, जो कि कोविड महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू किये जाने विषयक है एवम् इस सम्बन्ध में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-874-स०प्र०वि०-26/पाकालि/2020-स०प्र०वि०/85, दिनांक: 17.07.2020 की अनुरूपता में आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के शक्ति भवन मुख्यालय/विस्तार स्थित समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अगले आदेशों तक प्रत्येक शनिवार को कारपोरेशन कार्यों को घर से निष्पादित (Work from Home) कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या : 588-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि/2020

तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. अधिशाली अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)